''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2002—भाद्र 1, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक 5/12/दो (आठ-परि.)/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 56 के उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 27/परिवहन/2002, दिनांक 7-1-2002 एवं अधिसूचना क्रमांक 534/परिवहन/2002, दिनांक 31-5-2002 के तारतम्य में तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 72/परिवहन/2002, दिनांक 18-1-2002 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य सरकार, राज्य के समस्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को, निम्नानुसार और निर्देश देती है :—

1. परिवहन यानों के लिये छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित समयावधि में वृद्धि करते हुए अब इसे दिनांक 30 सितम्बर 2002 तक बढ़ाया जाता है. गैर-परिवहन यानों की समय-सीमा 7 जनवरी 2003 तक पूर्ववत रहेगी.

2. गैर-परिवहन यानों की दशा में छत्तीसगढ़ राज्य में नये रजिस्ट्रेशन क्रमांक पुन: समानुदेशित करने के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं :—

(क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य का रजिस्ट्रेशन क्रमांक आवंटित करने से पूर्व उसके कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत पूर्व सीरीज का परीक्षण करेगा एवं जो वाहन उसके क्षेत्राधिकार से नियमानुसार बाहर जा चुकी हों उन्हें छोड़कर शेष वाहनों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीरीज में क्रम से रजिस्ट्रेशन क्रमांक आवंटित करेगा. ऐसे वाहनों को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिन पर मोटरयान कर का बकाया है तथा/अथवा रजिस्ट्रेशन नवीकरण नहीं कराया गया है.

(ख) प्रत्येक पूर्व सीरीज के प्रत्येक मोटरयानों के विरुद्ध इस प्रकार छत्तीसगढ़ सीरीज के रजिस्ट्रेशन क्रमांक आवंटित किये जाने पर उसकी सूची कार्यालय सूचना पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर से प्रदर्शित की जायेगी एवं इसका प्रचार प्रसार किया जावेगा.

(ग) इन निर्देशों के पूर्व जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक छत्तीसगढ़ सीरीज में परिवर्तन किये जा चुके हैं वे यथावत रहेंगे एवं उन्हें उक्त बिन्दु ख. की सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा.

(घ) आवंटित रजिस्ट्रेशन क्रमांक वाहन स्वामी, अपने वाहन पर नियमानुसार प्रदर्शित कर सकेगा एवं परिवहन कार्यालय में पूर्व निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ सीरीज का रजिस्ट्रेशन क्रमांक अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में प्रमाणित करायेगा.

(ङ) समय-सीमा में जो वाहन स्वामी, छत्तीसगढ़ राज्य का नया रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्रमाणित नहीं कराता है तो, नियम 56 के प्रावधान प्रभावशील होंगे.

(च) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य का नया रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्रमाणित कराने में वाहन स्वामी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 5/12/दो (आठ-परि.)/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 23-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd August 2002

NOTIFICATION

No. 5/12/II (VIII-trans.)/2002.—In pursuance of the provisions contained in sub-rule (1) of rule 56 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 and in continuation of this department notification No. 27/Transport/2002. dated 7-1-2002 and notification No. 534/Transport/2002, dated 31-5-2002 and in partial modification of this department notification No. 72/Transport/2002, dated 18-1-2002, the State Government hereby further direct all the Registering Authorities of the State as follows :—

1. The time limit fixed earlier for getting the registration number of Chhattisgarh State for transport vehicles is now extended up to 30-9-2002. The time limit so fixed for non-transport vehicles will remain as before i.e. 7-1-2003.

2. In case of non-transport vehicles for re-assignment of new registration number of Chhattisgarh State the following additional directions are issued :—

(a) Every Registering Authority before allotting registration number of Chhattisgarh State shall examine the earlier registered series in his office and excluding the vehicles that have migrated from its jurisdiction as per rule, the remaining vehicles shall be assigned registration number of Chhattisgarh series serially. Such Vehicles on which the motor vehicle tax is due or/and the renewal of registration of which has not been obtained shall not be included in such list.

(b) On such allotment of registration of Chhattisgarh series against the every motor vehicle of every earlier series, the list shall be exhibited with the signature of the Registering Authority and it shall be given wide publicity.

(c) The registration numbers changed in Chhattisgarh series before issuing of these directions shall remain intact and shall not be included in the list of point b. above.

(d) The vehicle owner shall exhibit the new allotted registration number as per law and shall get it certified in its registration certificate as per earlier directions before the last date fixed for the change of registration number.

(e) The vehicle owner who does not get the new registration number of Chhattisgarh State certified in time limit, the provisions of rule 56 shall be apply.

(f) The registering authority shall ensure that the vehicle owner does not face any difficulties in getting the registration number of Chhattisgarh State certified in its office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.